रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1970/श्रावण 10, 1892
No. 275] NEW DELHI, SATURDAY, AUGAST 1, 1970/SRAVANA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August 1970

S.O. 2606.—Whereas the Central Government in the late Ministry of International Trade by its notified Order No. S.O. 3548, dated the 17th December, 1963, read with the Orders of the late Ministry of Commerce No. S.O. 4205, dated the 22nd November, 1968, and the late Ministry of Foreign Trade and Supply Nos. S.O. 741, dated the 20th February, 1969 and S.O. 4433, dated the 30th October, 1969, and the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1098, dated the 17th March, 1970, issued under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised Messrs. Raja Ram and Brothers, to take over the management of the industrial undertaking known as the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon (hereinafter in this Order referred to as the 'industrial undertaking') for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the notified Order under Section 18A.

Schedule

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (i) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 224	The provisions of this Section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. F. 9(16) Lic.Pol./70.]

R. C. SETHI, Under Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1970

का० आ० 2606.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4205 दिनांक 22 नवम्बर, 1968 और भूतपर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 741, दिनांक 20 फरवरी, 1969 और का० आ० 4433, दिनांक 30 अक्तूबर, 1969 तथा विदेशी व्यापार मंत्रालय के का० आ० सं० 1098, दिनांक 17 मार्च, 1970 के साथ पठित अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 3548 दिनांक 17 दिसम्बर, 1963 द्वारा केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय ने मैसर्स राजा राम एण्ड ब्रदर्स को, बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम (जिसे एतदोपरान्त इस आदेश में 'औद्योगिक उपक्रम' कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने अधिकार में लेने के लिए प्राधिकृत किया था ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, प्रतिबन्धों और सीमाओं का एतद्द्वारा उल्लेख करती है जिसके अधीन रहते हुए समवाय अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह धारा 18क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर लगू होता था ।

अनुसूची

समवाय अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	अपवाद, प्रतिबन्ध और सीमाएं जिनके अधीन कालम (1) में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रम पर लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 224	इस धारा का उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम पर लागू नहीं होगा।

[सं० फा० 9 (16) ल० प०/70.]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970